न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – अनिल कुमार सिंघल आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 52/17

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

1. अंगद पुत्र भूरी सिंह ----- फोत |
1/1– अमर सिंह पुत्र अंगद | जातिगण गूजर
1/2– जण्डैल सिंह पुत्र अंगद | सा0 चपरौली
1/3– जगदीश पुत्र अंगद |
1/4– विजेन्द्र सिंह पुत्र अंगद |
1/5– मलखान सिंह पुत्र अंगद |
1/6– जयवीर पुत्र अंगद |
2. पदमसिंह पुत्र मोहन सिंह |
3. चाहती पत्नी स्व0 हुक्मसिंह |

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

निर्णय दिनांक – 25.06.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 343 रकवा 12 विश्वा किस्म वा0 दो0 बाके ग्राम चपरौली तहसील धौलपुर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 343 रकवा 12 विश्वा ग्राम चपरौली पर खोआ प्लांट स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत जलालपुर में पेश हुयी। पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में खोआ प्लांट स्थापित कर लिया है। इस प्रकार अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थी को सूचना के बावजूद भी वह रूपान्तरण नहीं करा रहे हैं। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2067–70 ग्राम चपरौली के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 343 रकवा 12 विश्वा पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में बिना सक्षम स्वीकृति के खोआ प्लांट स्थापित कर लिया है। अप्रार्थी के द्वारा अभी तक भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन नहीं करना बताया गया। तहसीलदार धौलपुर से उक्त आराजी की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट ली गयी। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 343 में 60गुणा46 फीट क्षेत्र में खोआ प्लांट संचालित किया हुआ है। अंगद पुत्र भूरीसिंह की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान अमरसिंह , जण्डैल सिंह, जगदीश, विजेन्द्र सिंह, मलखान सिंह, जयवीर पुत्रान अंगद हि0व0 3/4 दर्ज हैं तथा चाहती पत्नी हुकमसिंह हि. 1/8 व पदमसिंह पुत्र मोहनसिंह हि. 1/8 दर्ज रिकार्ड हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि चाहती ग्राम में निवास नहीं कर रही है ऐसी स्थिति में उनके बारे में कोई जानकारी नहीं की जा सकी।

उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 343 रकवा 12 विश्वा ग्राम चपरौली के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज)

Scanned by CamScanner

नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा 343 रकवा 12 विश्वा ग्राम चपरौली तहसील धौलपुर पर खातेदार अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत जलालपुर में सुनाया गया।

25.6.18

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner